

बनाम ..... विपक्षी श्री मालाजी  
 मुकदमा श-का- ..... प्रकरण संख्या 19/2020

## कार्यवाही विवरण

15/12/25

पता वेका डूरी वादीगण अन्वेषित। वकील  
 उतिवादीगण उपाधित। वादीगण मय अखिवक्ता  
 को न्यायालय समय पर विधिवत रूप से  
 शर-शर भावाजे लगवाई गई। उसके उपरान्त  
 भी वादीगण मय अखिवक्ता के गैर-उजिर  
 रहने से वादीगण का यह वाद वास्तव्यार्थ  
 निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा-188 R.T.A.  
 का अदम्य अजरी व अदम्य पैरवी में खरिज  
 किया जाता है।

पतावली केसल सुमर होकर दाखिल दफ्तर  
 हो आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर सलुम्बर  
 जिला सलुम्बर